न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 44 / 2024

प्रार्थीगण–

सवाईसिंह पुत्र समरथसिंह जाति राजपूत निवासी बावड़ी कला तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी–

1. प्रभारी अधिकारी (एस.डी.ओ.) पंचायत समिति चौहटन जिला बाड़मेर
2. प्रकाश पुत्र उका जाति वजीर निवासी बावड़ी कला तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 ।

उपस्थिति :–

1. श्री अमित बोहरा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 2 सूचना बावजूद अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 1 प्रर्फोमा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 12.02.2025

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 31.01.2023 को अप्रार्थी प्रकाश पुत्र उका जाति वजीर निवासी बावड़ी कला सा0 देह को ग्राम बावड़ी कला के खसरा नंबर 878 / 312 में रकबा 04–14 बीघा भूमि आवंटन की गई। अप्रार्थी की ओर से तथ्य छिपाकर भूमि आवंटन समिति के सदस्यों को अंधेरे में रखकर आवंटन कराया जाना अभिकथित करते हुए उक्त आवंटन के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.06.2024 को प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 10:49:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जवाब हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय बहस सुनी एवं आलौच्य अभिलेख का अवलोकन किया।

3. हमने प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अप्रार्थी प्रकाश ने स्वयं को भूमिहीन काश्तकार बताकर मौजा बावडी कला के खसरा नंबर 878/312 रकबा 4–14 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि आवंटित करने बाबत दिनांक 02.01.2023 को भूमि आवंटन समिति के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना–पत्र में अप्रार्थी ने सही तथ्यों को छिपाकर व आवंटन समिति के सदस्यों को अंधेरे में रखकर उक्त भूमि आवंटन कराई है इस भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त 1965 से है जिस पर प्रार्थी का पानी का टांका, रहवासी झौपडी व पशुओं का बाडा आदि बने हुए है। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा न ही सेढा पडोसी है। मौजा बावडी कला का खसरा नंबर 878/312 वक्त आवंटन बिला कब्जा भी नहीं था और न ही आवंटन योग्य था। इस प्रकार अप्रार्थी प्रकाश ने भूमि आवंटन समिति के समक्ष सही तथ्यों को छिपाकर छल व कपट के आधार पर अपने पक्ष में ग्राम बावडी कला के खसरा नंबर 878/312 रकबा 4–14 बीघा भूमि का आवंटन कराया है जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को किया गया उपरोक्त भूमि आवंटन निरस्त फरमावें।

4. अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुना गया।

5. हमने अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जिसमें हस्तगत प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह है कि अप्रार्थी प्रकाश द्वारा तथ्य छिपाकर कपट या दुर्व्यपदेशन के द्वारा आवंटन कराया जिसके आधार पर यह प्रार्थना पत्र नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में अधिवक्ता प्रार्थी का कथन हैं कि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त निर्बाध रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 10:49:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

1965 से चला आ रहा है जिस पर प्रार्थी का पानी का टांका, रहवासी झौपडी व पशुओं का बाडा आदि बना हुआ है तथा आवंटित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 का कभी कब्जा नहीं रहा है। उक्त आदेश के साथ जो नक्शा मे प्रस्तावित नियमन भूमि दर्शायी गई है उस भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मौके की जांच किये बिना ही आवंटन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। हमने प्रार्थी की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जिसमें पाया गया है कि अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से अप्रार्थी को वक्त आवंटन भूमिहीन नहीं होने का तथ्य साबित नहीं हुआ है। जहां तक प्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा वर्ष 1965 से होना अभिकथन करता हैं, तो इसके समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया हैं। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत मिथ्या व्यपदेशन के द्वारा अवैध आवंटन या आवंटन की शर्तों की पालना न करने पर आवंटन निरस्त करने का प्रावधान हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन से पाया जाता हैं कि अप्रार्थी द्वारा वक्त आवंटन किसी प्रकार के तथ्यों को छिपाकर मिथ्याव्यपदेशन नहीं किया गया है तथा न ही आवंटन शर्तों के उल्लंघन का कोई साक्ष्य प्रकट किया गया है जिसके अभाव में आलौच्य आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं। लिहाजा यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरांत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता हैं।

7. निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 10:49:06 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर